भारतीय रिजर्व बैंक

"भुगतान बैंकों" को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश

27 नवंबर 2014

1. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ख) और 6 (1) (क) से (ण) में परिभाषित और वर्णित किए गए अनुसार संस्थाओं को बैंकिंग कारोबार और बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए जा सकने वाले अन्य कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश फरवरी 2013 में जारी किए थे। रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 2 अप्रैल 2014 की प्रेस प्रकाशनी में की गई इस घोषणा के साथ समाप्त हुई कि बैंक दो आवेदकों को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन देगा, जो 18 महीनों के भीतर निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना करेंगे।

दो आवेदकों को "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान करते समय रिजर्व बैंक ने ऊपर उल्लिखित प्रेस प्रकाशनी में यह संकेत दिया था कि आगे चल कर रिजर्व बैंक लाइसेंस जारी करने की इस प्रक्रिया से प्राप्त अनुभवों का उपयोग दिशानिर्देशों के उचित संशोधन तथा अधिक नियमित रूप से लाइसेंस प्रदान करने के लिए करने का विचार रखता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक 'भिन्न – भिन्न' बैंक लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों की नीति पर कार्य करेगा, ताकि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक लोगों को प्रवेश मिल सके।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त 2013 को रिजर्व बैंक ने 'भारत में बैंकिंग संरचना –भावी स्वरूप' विषय पर एक नीतिगत चर्चा – पत्र अपनी वेबसाइट पर रखा था। उक्त चर्चा पत्र में एक टिप्पणी यह भी थी की भारत में बैंकिंग के लिए अधिक अवसरों की आवश्यकता है तथा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस देना इस दिशा में वांछित कदम हो सकता है, विशेषत: बुनियादी संरचना के वित्तपोषण, थोक बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग के लिए।

इसी प्रकार, "छोटे कारोबार और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति (अध्यक्ष – डॉ. नचिकेत मोर) ने जनवरी 2014 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सर्वव्यापी भुगतान नेटवर्क और बचत तक सार्वभौमिक पहुँच से संबंधित मुद्दों की जाँच की, और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के जारीकर्ताओं (पीपीआई जारीकर्ता) द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा इस मॉडल से सम्बद्ध अंतर्निहित विवेकपूर्ण चिंताओं को देखते हुए विद्यमान और नए पीपीआई जारीकर्ता

आवेदकों को इसके बजाए भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, अथवा उन्हें व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) बन जाना चाहिए।

दिनांक 10 जुलाई 2013 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2014-15 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि :

"वर्तमान ढांचे में उचित बदलाव करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के निरंतर प्राधिकार के लिए एक रूपरेखा शुरू की जाएगी। रिजर्व बैंक लघु बैंकों और अन्य भिन्न भिन्न बैंकों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह माना जा रहा है कि विशिष्ट हितों को पूरा करने वाले भिन्न-भिन्न बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक आदि लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्यबल की ऋण और विप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।"

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में भारत में विशेषीकृत बैंकिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न लाइसेंस प्रदान करना इस दिशा में उचित कदम हो सकता है, निजी क्षेत्र में भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा 17 जुलाई 2014 को आम जनता के सुझावों हेतु उन्हें जारी किया गया। प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

II. दिशानिर्देश

1. पंजीकरण, लाइसेंस देना तथा विनियमन

भुगतान बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसमें लाइसेंस जारी करने की विनिर्दिष्ट शर्तें होंगी, जो उनके कार्यकलापों को मुख्यत: मांग जमाराशियों को स्वीकार करने और भुगतान और विप्रेषण सेवाओं के प्रावधान तक सीमित रखेंगी। इन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999; भुगतान और निपटान प्रणालियाँ अधिनियम, 2007; निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961; अन्य संबंधित संविधियों और निदेशों, विवेकपूर्ण विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों/अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भुगतान बैंक का परिचालन शुरू किए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(क) के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा।

2. उद्देश्य

जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए लेनदेन और बचत खातों की आवश्यकता है। साथ ही, इनसे विप्रेषण प्राप्त करने वाले क्षेत्र के लिए समष्टि आर्थिक लाभ, तथा प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यष्टि आर्थिक लाभ, दोनों ही होंगे। विप्रेषण की अधिक लेनदेन लागत के कारण ये लाभ घट जाते हैं। अतएव, भुगतान बैंको की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य (i) छोटे बचत खाते और (ii) प्रवासी   श्रमिक वर्ग, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी–चालित परिवेश में जमाओं और भुगतान/विप्रेषण हेतु अधिक मात्रा में कम मूल्य वाले लेन देन के लिए भुगतान सेवाएँ उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

3. पात्र प्रवर्तक

भुगतान और निपटान प्रणालियां, अधिनियम, 2007 (पीएसएस एक्ट) के अंतर्गत प्राधिकृत मौजूदा गैर-बैंक पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता, तथा अन्य संस्थाएं, जैसे व्यक्ति /व्यावसायिक; गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, (एनबीएफसी), कॉर्पोरेट बीसी, मोबाइल टेलीफ़ोन कंपनियाँ, सुपर मार्केट शृंखलाएँ, कंपनियाँ, स्थावर संपदा सहकारी संस्थाएं, जो निवासी भारतीयों के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन हैं, तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

मौजूदा पीपीआई लाइसेंस धारक भुगतान बैंकों में परिवर्तन का विकल्प चुन सकते हैं। मौजूदा पीपीआई जारीकर्ता के लिए भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं हैं, तथा वह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पीपीआई जारीकर्ता के रूप में बना रह सकता है।

कोई प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह भुगतान बैंक की स्थापना के लिए किसी विद्यमान अनुसूचित बैंक के साथ संयुक्त उद्यम कर सकता है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भुगतान बैंक में अपना इक्विटी हिस्सा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के अंतर्गत अनुमत स्तर तक रख सकते हैं।

यदि कोई सरकारी संस्था भुगतान बैंक की स्थापना करना चाहती है, तो उसे पहले सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने चाहिए, उसके बाद अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि विधिवत् प्रक्रिया के बाद कोई ऐसा प्रवर्तक रिज़र्व बैंक से भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने में सफल होता है जो भुगतान बैंक में परिवर्तन का विकल्प चुनने वाला मौजूदा

पीपीआई लाइसेंस धारक नहीं है तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह एक अलग ढांचे के अंतर्गत भुगतान बैंक की स्थापना करे।

सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 में परिभाषित किए गए अनुसार संबंधित संस्थाओं और उनके प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूहों को भुगतान बैंक का प्रवर्तन करने के लिए पात्र होने की दृष्टि से 'योग्य और उचित' होना चाहिए। रिज़र्व बैंक आवेदकों और सामूहिक संस्थाओं की 'योग्य और उचित' स्थिति का मूल्यांकन उनकी सुदृढ़ साख और सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता और कम से कम 5 वर्ष के व्यावसायिक अनुभव या कारोबार चलाने के अनुभव के सफल रिकॉर्ड के आधार पर करेगा।

4. गतिविधियों का दायरा

भुगतान बैंक की स्थापना एक विशेषीकृत बैंक के रूप में की जाएगी तथा उसकी गतिविधियां उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तक सीमित रहेंगी, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है। अतएव, भुगतान बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन अनुमत केवल कुछ सीमित गतिविधियां आरंभ करने के लिए अपने स्वयं के केंद्र (आउटलेट) जैसे, शाखाएं, एटीएम, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आदि की स्थापना करने की अनुमति दी जाएगी। उन गतिविधियों में शामिल हैं:

i. मांग जमाराशियों, अर्थात् व्यक्तियों, छोटे कारोबारों और अन्य संस्थाओं से यथा अनुमत चालू जमाराशियां और बचत बैंक जमाराशियों को स्वीकार करना। कोई भी एनआरआई जमाराशि स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। भुगतान बैंक द्वारा एकत्र की गई पात्र जमाराशियों को भारत के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की जमा बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। छोटे कारोबार और निम्न आय वाले परिवारों को भुगतान और विप्रेषण सेवाएं तथा मांग जमा उत्पाद उपलब्ध कराने की उनकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए शुरुआत में भुगतान बैंकों की प्रति व्यक्ति ग्राहक धारिता अधिकतम रु. 100,000/- तक सीमित रखी जाएगी। भुगतान बैंक के कार्य-निष्पादन को आंकने के बाद रिज़र्व बैंक अधिकतम शेष सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। तथापि, भुगतान बैंक अनेक खातों को विप्रेषण हेतु बहुत बड़ी राशि में मुद्रा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि दिन के अंत में शेष राशि रु.100,000/- से अधिक न हो। यदि खातों के लेन-देन "छोटे खाते"[1] के

---

[1] धन-शोधन निवारण नियमावली, 2005 (लेनदेनों के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की क्रियाविधि और तरीका तथा सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का रखरखाव और सत्यापन) (16 दिसंबर 2010 की अधिसूचना सं.14/2010/एफ.सं.6/2/2007- ई.एस) के नियम 2 के खण्ड (चख) के अनुसार 'छोटा खाता' का आशय बैंकिंग कंपनी में बचत खाते से है, जिसमें:

i. एक वित्त वर्ष के दौरान सभी जमाओं का जोड़ एक लाख रुपये से अधिक न हो;

लेन-देनों के अनुरूप हों, तो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में परिभाषित किए गए अनुसार ऐसे खातों पर सरलीकृत केवायसी/ एएमएल/सीएफटी मानदंड लागू होंगे। भुगतान बैंक को अन्य किसी भी बैंक की तरह अपनी केवायसी/ एएमएल/सीएफटी प्रक्रिया को स्वयं पूरा करना होगा।

ii. एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना। तथापि, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता।

iii. शाखाओं, स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम), व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) तथा मोबाइल बैंकिंग सहित विभिन्न माध्यमों से भुगतान एवं धन प्रेषण सेवाएं। भुगतान/धन प्रेषण सेवाओं में शामिल होगा - शाखाओं, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) सहित विभिन्न माध्यमों से एक छोर पर धनराशियां स्वीकार करना तथा दूसरे छोर पर शाखाओं, एटीएम, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से नकदी का भुगतान। पीएसएस अधिनियम के तहत जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्वाईंट-आफ-सेल टर्मिनल स्थलों पर नकद राशि दिए जाने की अनुमति भी होगी। भुगतान बैंक पीएसएस अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त किसी कार्ड भुगतान नेटवर्क (क्रेडिट कार्ड के अलावा) का हिस्सा हो सकते हैं। अकस्मात ग्राहक के मामले में, इस बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा केवाईसी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

iv. पीएसएस अधिनियम के तहत समय-समय पर जारी अनुदेशों के तहत प्री-पेड लिखतें (पीपीआई) जारी करना। तथापि, पीपीआई के बकाया शेषों का अभिनियोजन नीचे पैरा 5 में दिए गए निधियों के अभिनियोजन के तरीके के अनुसार करना होगा।

v. इंटरनेट बैंकिंग – भुगतान बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दिए जाने हेतु रिजर्व बैंक की ओर से छूट है। भुगतान बैंक से अपेक्षित होगा कि वे प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हुए कम लागत पर बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराएं। ऐसे बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट पर लेनदेन करने की सुविधा शुरू करने के लिए उनके पास कारोबारी साझेदार, तृतीय पक्षकार सेवाप्रदाता और जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और नियंत्रणों सहित सभी कारगर प्रणालियां लागू कर दी गई हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिजर्व बैंक भुगतान बैंक की कल्पना “आभासी” बैंक या शाखारहित बैंक के रूप में नहीं करता। इसलिए, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करते समय भुगतान बैंक से अपेक्षित होगा कि वे इंटरनेट बैंकिंग; तथा सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करें।

---

ii. एक माह के दौरान सभी आहरणों और अंतरणों का जोड़ दस हजार रुपये से अधिक न हो; तथा

iii. किसी भी समय शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो।

vi. अन्य बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में कार्य करना - रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन भुगतान बैंक अन्य बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) बन सकते हैं।

vii. रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान प्रणालियों यथा - आरटीजीएस/एनईएफटी/ आईएमपीएस के तहत भुगतान बैंक एक चैनल के रूप में विविध बैंकों को धन प्रेषण किए जाने अथवा उनसे धन प्रेषण प्राप्त किया जाना स्वीकार कर सकते हैं।

viii. भुगतान बैंक को व्यक्तिगत भुगतानों/ चालू खाते के तहत धन प्रेषण जैसे स्वरूप के विदेशी धन प्रेषण लेनदेनों में भाग लेने की अनुमति होगी। विदेशी मुद्रा में ऐसे लेनदेन किए जाने से संबद्ध सभी सुविधाएं/ अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर मंजूर की जाएगी।

ix. भुगतान बैंक अन्य गैर-जोखिम आधारित सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों, जिनमें खुद की निधियां लगाए जाने की कोई प्रतिबद्धता न हो, जैसे कि म्यूच्युअल फंड की यूनिटों का वितरण, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों, आदि में रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर तथा ऐसे उत्पादों से संबंधित क्षेत्र के विनियामकों की अपेक्षाओं का पूरा करते हुए भाग ले सकते हैं।

x. भुगतान बैंक अपने ग्राहकों और आम जनता की ओर से उपयोगिता (यूटिलिटी) बिल भुगतान आदि का कार्य कर सकते हैं।

भुगतान बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा कार्यकलापों की शुरुआत करने के लिए सहायक संस्थाएं गठित नहीं कर सकते । प्रवर्तकों के अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय सेवा कार्यकलापों, यदि कोई हो, को इसके दायरे से दूर रखा जाना चाहिए और भुगतान बैंक के बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा कारोबार के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

भुगतान बैंक से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने नाम में "भुगतान बैंक" शब्द का प्रयोग करें ताकि इनकी पहचान अन्य बैंकों से अलग रखी जा सके।

5. निधियों का अभिनियोजन

भुगतान बैंक उधार देने का कार्य नहीं कर सकता। अपनी मांग और मीयादी देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अलावा इनको अपने मांग जमाराशि शेषों का न्यूनतम 75 प्रतिशत एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों/ कोषागार बिलों जिनको रिजर्व बैंक द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता दी गई हैं, में निवेश करना होगा तथा परिचालनगत प्रयोजनों और चलनिधि प्रबंधन के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत तक अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू तथा आवधिक/सावधि जमाराशियों के रूप में

रखना होगा। भुगतान बैंकों द्वारा जारी "पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के बकाया शेषों" को एसएलआर के लिए मान्य सरकारी प्रतिभूतियों/ कोषागार बिलों अथवा बैंकों में जमाराशियों (मांग पर देय तथा आवधिक दोनों) के रूप में सुविधानुसार इस प्रकार निवेश/ अभिनियोजित किया जा सकता है जिससे इनके जमाराशि शेषों एवं जारी पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के बकाया शेषों सहित "समग्र बाहरी मांग और आवधिक देयताओं" पर सीआरआर तथा एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन हो सके।

भुगतान बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली में शामिल हो सकते हैं तथा अस्थायी चलिनिधि प्रबंधन के प्रयोजन से इनको अन्तर-बैंक गैर-संपार्श्विकृत मांग मुद्रा बाजार और संपार्श्विकृत रिपो और सीबीएलओ बाजार में भाग लेने की अनुमति होगी।

6. पूंजी अपेक्षाएं

भुगतान बैंक में ऋण और बाजार जोखिम बहुत अधिक मात्रा में नहीं होंगे। तथापि, इनमें परिचालन जोखिम हो सकते हैं। भुगतान बैंक से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने परिचालनों के लिए प्रौद्योगिकीय अवसंरचना में निवेश करें। परिचालन जोखिम के प्रति बफर के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी तथा ऐसी स्थिर आस्तियों के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए, भुगतान बैंक की न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी। भुगतान बैंक को अपनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का 15 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर बनाए रखना होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने जाने वाले उच्चतर प्रतिशत के अधीन होगा। टीयर- I पूंजी आरडब्ल्यूए की कम से कम 7.5 प्रतिशत होनी चाहिए। टीयर- II पूंजी टीयर - I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि, भुगतान बैंकों से जटिल उत्पादों का कारोबार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है अत: इनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना बासेल समिति की मानकीकृत अवधारणा पर की जाएगी।

चूंकि, भुगतान बैंकों के पास जोखिम भारित आस्तियां बहुत अधिक मात्रा में नहीं होगीं अत: इनके द्वारा 15 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखा जाना वास्तविक जोखिम को नहीं दर्शाएगा। इसलिए, एक रक्षात्मक उपाय के रूप में, भुगतान बैंक का लीवरेज अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए अर्थात इसकी बाहरी देयताएं इसकी निवल मालियत (चुकता पूंजी तथा आरक्षित निधियां) के 33.33 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. प्रवर्तकों का हिस्सा

चूंकि भुगतान बैंक उधार देने का कारोबार नहीं कर सकते हैं अत: इनकी स्वामित्व संरचना विविधतापूर्ण होने की अपेक्षा नहीं की गई है। इसलिए, प्रवर्तकों के लिए अधिकतम शेयरधारिता की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। तथापि, भुगतान बैंक के प्रवर्तकों को इसकी

चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा इसके व्यापार शुरू करने के पहले पांच सालों तक अपने पास रखना होगा। यदि भुगतान बैंक की स्थापना किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में इक्विटी भागीदारी माध्यम से की जाती है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के तहत अनुमत सीमा तक भुगतान बैंक में इक्विटी हिस्सेदारी रख सकते हैं। भुगतान बैंक की निवल मालियत 500 करोड़ रुपए हो जाने और इसके परिणामस्वरूप इसके प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बन जाने पर निवल मालियत के ऐसे स्तर पर पहुंचने के तीन वर्षों के भीतर विविधतापूर्ण स्वामित्व तथा शेयरों को सूचीबद्ध कराने की अनिवार्यता लागू हो जाएगी। तथापि, 500 करोड़ रुपए से कम निवल मालियत वाले भुगतान बैंक भी पूंजी बाजार विनियामक की अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्तों के अधीन स्वेच्छा से अपने शेयरों को सूचीबद्ध करा सकते हैं।

8. विदेशी शेयरधारिता

भुगतान बैंक में विदेशी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए समय-समय पर संशोधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार होगी। विद्यमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों से कुल विदेशी निवेश की अनुमति बैंक की चुकता पूंजी के अधिकतम 74 प्रतिशत (49 प्रतिशत तक स्वचालित तथा 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक अनुमोदन मार्ग से) तक होने की अनुमति है।, चुकता पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा हर समय निवासियों के पास रहना चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के मामले में, वैयक्तिक एफआईआई/एफपीआई धारिता चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से कम तक सीमित रखी गई है, समस्त एफआईआई / एफपीआई/ अहर्ताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) के लिए समग्र सीमा कुल चुकता शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जिसे संबंधित बैंक अपने निदेशक मंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर तथा इस संबंध में अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर कुल चुकता शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढा सकते हैं। अनिवासी भारतीयों के मामले में, व्यक्तिगत धारिता की सीमा प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है तथा समग्र सीमा प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) धारिता हेतु प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार दोनों को मिलाकर कुल चुकता शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत तक की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते, बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो।

9. शेयरों का अंतरण/अधिग्रहण और मताधिकार

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 12 (2) के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों में किसी भी शेयरधारक के मताधिकार पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लगाई गई है। रिजर्व बैंक इस सीमा को चरणबद्ध रूप से 26 प्रतिशत तक बढा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 12 बी के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंक में चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत या अधिक भाग के किसी भी अधिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन लिए जाने की अपेक्षा है। यह भुगतान बैंकों पर भी लागू होगा।

10. विवेकपूर्ण मानदंड

भुगतान बैंक के पोर्टफोलिओ में ऋण और अग्रिम न होने के कारण ऋण और अग्रिम पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा विनियम उस पर लागू नहीं होंगे। तथापि, भुगतान बैंक को परिचालनात्मक जोखिम हो सकता है अत: उन्हें मजबूत परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें चलनिधि का भी जोखिम हो सकता है इसलिए उनसे जहां तक लागू है, चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना भी अपेक्षित है।

11. व्यवसाय योजना

भुगतान बैंक हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ व्यावसायिक योजना तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। व्यावसायिक योजना में, भुगतान बैंक की स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक का क्या प्रस्ताव है यह बताना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक के एक्सेस पॉईंट; व्यवसाय प्रतिनिधियों का नियंत्रण तथा ग्राहक शिकायत निवारण; अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ संयुक्त साझेदारी, यदि कोई है, जैसे संबंधित पहलुओं को व्यावसायिक योजना में प्रस्तावित व्यवसाय मॉडेल में समाविष्ट किया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना वास्तविक तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। देश के कम बैंक सेवावाले राज्य/ उत्तर पूर्व, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के जिलों में मुख्य रूप से एक्सेस पॉइंट के साथ भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव देनेवाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, प्रभावी होने के लिए, भुगतान बैंक को विशेषत: दूरस्थ क्षेत्रों में अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से या एटीएम या व्यावसायिक प्रतिनिधि या अन्य उपलब्ध नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस पॉइंट का व्यापक नेटवर्क सुनिश्चित करना होगा। भुगतान बैंक से यह अपेक्षित है कि वे लागत कम करने के लिए तकनीकी उपाय अपनाएं तथा अपने नेटवर्क का विस्तार करें।

लाइसेंस जारी करने के बाद नियत व्यवसाय योजना में परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान बैंक का विस्तार रोकने, प्रबंधन में परिवर्तन करने तथा आवश्यकतानुसार अन्य दंडात्मक उपाय करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है।

12. कार्पोरेट गवर्नेंस

i. भुगतान बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अधिक संख्या होनी चाहिए।

ii. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी कारपोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों सहित निदेशकों के लिए "योग्य और उचित" मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

13. अन्य शर्तें

i. भुगतान बैंक का परिचालन दूरस्थ क्षेत्रों में व्यवसाय प्रतिनिधियों, एटीएम तथा अन्य नेटवर्क के माध्यम से कार्य करेंगे। अत: बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शाखाएं खोलने (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी वाल क्षेत्र) की अपेक्षा इनके लिए निर्धारित नहीं है। तथापि भुगतान बैंक के लिए ग्रामीण केंद्रों में व्यवसाय प्रतिनिधि सहित कम से कम 25 प्रतिशत एक्सेस पॉइंट होना अपेक्षित है। इसके अलावा विविध केंद्रों के नियंत्रण तथा ग्राहक शिकायत निवारण और एक्सेस पॉइंट क्लस्टर के लिए नियंत्रण कार्यालय स्थापित करना चाहिए।

ii. बैंक का परिचालन शुरू से ही सामान्यत: स्वीकृत मानकों तथा मानदंडों के अनुरूप और पूर्णत: नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी चालित होना चाहिए। जबकि नई पहलों (जैसे कि आंकड़ों का संचयन, सुरक्षा तथा रिअल टाइम डाटा अपडेशन) को प्रोत्साहित किया जाएगा, इस संबंध में विस्तृत प्रौद्योगिकी योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

iii. ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक के पास उच्च शक्ति प्राप्त ग्राहक शिकायत कक्ष होना चाहिए। भुगतान बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे में रहेंगे।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का अनुपालन लाइसेंस देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अनुपालन में चूक होने पर बैंक का लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

14. आवेदन की प्रक्रिया

बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियम 1949 के नियम 11 के अनुसार आवेदन निर्धारित फॉर्म (फॉर्म iii) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को पैरा II के अनुसार व्यावसायिक योजना तथा अनुबंध के अनुसार अन्य अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। भुगतान बैंक के स्थापना के लिए उपर उल्लिखित ब्यौरों के साथ आवेदन एक लिफाफे जिस पर "भुगतान बैंक के लिए आवेदन" लिखा हो, में निम्नलिखित पते पर भेजें:

मुख्य महा प्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय ,13 वीं मंजिल
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई 400001.

भुगतान बैंक के लिए आवेदन उपर्युक्त पते पर 16 जनवरी 2015 को कारोबार समाप्ति तक प्राप्त किए जाएंगे। भुगतान बैंकों के साथ व्यवहार करने से प्राप्त अनुभव के आधारों पर निरंतर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तथापि यह दिशानिर्देश आवधिक समीक्षा और संशोधन के अधीन है।

15. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय की प्रक्रिया

i. आवेदकों की प्रारंभिक पात्रता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदनों की योग्यता निर्धारित करने के लिए "योग्य और उचित" मानदंडों के अलावा अन्य मानदंड भी निर्धरित कर सकता है।

ii इसके बाद एक बाहरी परामर्शदात्री समिति (ईएसी) जिसमें प्रतिष्ठित व्यावसायिक जैसे, बैंकर, सनदी लेखाकार, वित्तीय व्यावसायिक आदि रहेंगे, आवेदन का मूल्यांकन करेगी। उक्त समिति में शामिल व्यावसायिकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

iii. ईएसी यदि जरूरी समझें तो वह और अधिक जानकारी मांग सकती है, किसी भी आवेदक/कों के साथ चर्चा कर सकती है तथा किसी भी मामले पर स्पष्टीकरण मांग सकती है। ईएसी भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता ऐसे सैद्धांतिक अनुमोदन देने की तारीख से 18 महीने होगी और इसके बाद यह अपने आप निरस्त हो जाएगी। अत: सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने बाद 18 महीनों में बैंक स्थापित करना होगा।

v. बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के बाद प्रवर्तकों के संबंध में या प्रवर्तक जिस कंपनी/ संस्था से जुड़े है उनके बारे में या जिसमें प्रवर्तकों का

हित है ऐसे समूह के बारे में यदि कोई विपरीत निष्कर्ष पाए जाते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो सैद्धांतिक अनुमोदन वापस भी ले सकता है।

vi. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक लाइसेंस के आवेदन प्राप्त होते ही आवेदकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सफल आवेदकों के नाम भी भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

vii. बैंकिंग एक अत्यधिक लीवरेज व्यवसाय होने के कारण अत्यंत चयनित आधार पर, जो उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, जिनका त्रुटिहीन कार्यनिष्पादन रिकार्ड है तथा जो ग्राहक सेवा के सर्वोत्तम मानक का पालन तथा कार्यक्षमता के लिए सहमत हैं उन्हें ही उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अतः उपर्युक्त पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले सभी आवेदकों को लाइसेंस प्रदान करना भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए संभव नहीं हैं। शुरूआती वर्षों में भुगतान बैंक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एहतियाती दृष्टिकोण अपनाएगा तथा अपने अनुभव के आधार पर दृष्टिकोण में उपयुक्त रूप से बदलाव लाएगा।

अनुबंध

अतिरिक्त सूचना जो प्रस्तुत की जानी है

I. वर्तमान संरचना

1. वैयक्तिक प्रवर्तक से संबंधित सूचना :

   क. प्रवर्तक का नाम, जन्म तिथि, निवास, अभिभावकों के नाम, पैन संख्या, ऋण सुविधाओं समेत शाखा और बैंक खाते के ब्योरे।

   ख. वैयक्तिक प्रवर्तक के अनुभव और उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित विस्तृत ब्योरे, उसका/उसकी विशेषज्ञता, कारोबार का इतिहास और वित्तीय हैसियत, विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/उद्योगों में प्रवर्तक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों के ब्योरे।

2. बैंक का प्रवर्तन करने वाली संस्था से संबंधित सूचना :

   प्रवर्तन करने वाली संस्था में शेयरधारिता का पैटर्न, प्रवर्तन करने वाली संस्था के अंतर्नियम तथा बहिर्नियम तथा पिछले 5 वर्षों की वित्तीय विवरणियाँ (जिनमें उक्त वर्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आसूचकों का सारणीयन भी शामिल होगा), तथा पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणियाँ।

3. प्रवर्तक समूह में व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित सूचना:

   क. व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम, शेयरधारिता के ब्योरे, सभी संस्थाओं का प्रबंधन तथा उनकी कॉर्पोरेट संरचना, एक संगठन-चित्र जिसमें संस्थाओं की संरचना, शेयरधारिता, और कुल आस्तियां दर्शाई गई हों।

   ख. समूह की सभी संस्थाओं की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें

   ग. प्रवर्तक समूह (वित्तीय, गैर-वित्तीय और विदेशी संस्थाओं) के सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के नामों का सारणीयन जिसमें निगमन की तिथि, पंजीकृत कार्यालय का पता, संस्था की गतिविधियां, पैन संख्या, टैन संख्या, सीआईएन संख्या, संस्था जिस आयकर सर्किल के अंतर्गत आती है उस का नाम, संस्थाओं को उपलब्ध ऋण सुविधा सहित खाता संख्या, बैंक शाखा और खाता के ब्योरे, संस्था के विनियामक (सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं के मामले में पंजीकरण) के ब्योरे, समूह की संस्थाओं के (स्टॉक एक्सचेंज में) सूचीबद्ध किए जाने संबंधी ब्योरे सभी शामिल हैं।

II. प्रस्तावित संरचना

आवेदकों को उन व्यक्तियों/संस्थाओं से संबंधित विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए जिनकी प्रस्तावित बैंक में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी (शेयरधारिता पैटर्न) का 5 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। प्रस्तावित बैंक में विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी तथा प्रस्तावित निवेशकों की पूंजी का स्रोत भी उक्त सूचना में शामिल किया जाना चाहिए।

III. परियोजना रिपोर्ट

एक परियोजना रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें प्रस्तावित बैंक की कारोबारी क्षमता, कारोबार योजना[2], दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रस्ताव तथा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली कोई अन्य सूचना शामिल होनी चाहिए। कारोबार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित कारोबारी माडल; ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक के संपर्क केंद्र; व्यवसाय प्रतिनिधियों और ग्राहक शिकायत निवारण पर बैंक का नियंत्रण; किसी वाणिज्यिक बैंक के साथ संयुक्त उद्यम भागीदारी, यदि कोई हो तो; इत्यादि पहलू शामिल होने चाहिए। परियोजना रिपोर्ट समुचित यथार्थ सूचना पर आधारित हो, उसमें यथाव्यवहार्य अधिकतम ठोस ब्योरे दिये जाएं तथा उसमें अवास्तविक और निरर्थक रूप से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से बचा जाए। कारोबार योजना में बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल किया जाना चाहिए[3]।

IV. कोई अन्य सूचना

प्रवर्तक आवेदनों के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक सूचना या दस्तावेज़ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक भविष्य में आवश्यकता होने पर कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

2 कारोबार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी (किन्तु केवल ये ही नहीं) शामिल होने चाहिए -अंतर्निहित पूर्वधारणाएं, मौजूदा बुनियादी सुविधाएं/नेटवर्क/शाखाएँ, और प्रस्तावित उत्पाद श्रेणियाँ, लक्षित ग्राहक, लक्षित स्थान, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधनों से संबंधित योजनाएँ, शाखा नेटवर्क, मौजूदगी के वैकल्पिक केंद्र, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पाँच वर्षों के लिए वित्तीय पूर्वानुमान इत्यादि।

3. वित्तीय समावेशन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी (किन्तु केवल ये ही नहीं) शामिल होने चाहिए- वित्तीय समावेशन संबंधी उत्पाद प्रदान करने, वित्तीय साक्षरता का प्रवर्तन करने , तथा भुगतान बैंकों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यम या भागीदारी के ब्योरे।